आस्था शोध एवं विकास संस्था, बून्दी (राज.)
-: संघ विधान पत्र :-

1.	संस्था का नाम	:	इस संस्था का नाम **"आस्था शोध एवं विकास संस्था, बून्दी"** है व रहेगा ।
2.	पंजीकृत कार्यालय तथा	:	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय **B.R.-629, न्यू कॉलोनी, बून्दी (राज0)** है तथा इस कार्यक्षेत्र **सम्पूर्ण राजस्थान** क्षेत्र तक सीमिति होगा ।
3.	संस्था का उद्वेश्य	:	इस संस्था के निम्नलिखित उद्वेश्य है :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा एवं मौलिक शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थी एवं व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना एवं शिक्षण-दीक्षण के लिए शिक्षक कार्यकर्त्ता एवं साहित्य सामग्री तैयार करना।
2. छात्र-छात्राओं को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा सहित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना।
3. कम्प्यूटर शिक्षा, मेडिकल, इन्जिनियरिंग, डेन्टल, विधि, कॉलेज शिक्षा एवं बी.फार्मा, डी.फार्मा प्रबंध संस्थान, लेब टेक्नीशियन, शारीरिक शिक्षा, बी. एड, एस.टी.सी., आई.टी.आई., आयुर्वेद, पशुधन, पर्यावरण, खेल-कूद संबंधी सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्य करना एवं प्रचार करना।
4. समाज के कमजोर, पिछड़ों, असहाय, विकलांगों, शाषित, विधवाओं, बेरोजगार, महिलाओं, तथा लोगों के शिक्षण-दीक्षण तथा उनकी आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकास एवं बन्धुओं मजदूरों, बालश्रम एवं बाल विवाह उन्मूलन हेतु कार्य करना।
5. वर्तमान ज्वलन्त समस्याओं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि के निवारण एवं स्वास्थ्य व स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करना।
6. कच्ची बस्तियों एवं उनमें रहने वाले लोगों के उत्थान एवं पुर्नवास आदि के लिए कार्य करना।

रमेश
अध्यक्ष

मंत्री

कमलेश
कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

लगातार 2

7. राज्य सरकार, भरत सरकार में विभिन्न समाजों की विविध विकास संबंधी योजनाओं की क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

8. अपाहिज, विकलांग एवं मानसिक विक्षिप्त एवं निराश्रित बच्चों एवं व्यक्तियों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास एवं पुर्नवास तथा कल्याण के लिए कार्य करना तथा बाल आश्रम का संचालन करना।

9. वृद्धाश्रम व अन्य रचनात्मक योजना बनाना, लागू करना।

10. महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग की गतिविधियों को उनकी स्वीकृति से संचालित करना।

11. महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौपा गया है जिसके प्रथम पदाधिकारी निम्नलिखित है :-

क्रं.	नाम व पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	रमेश बागोरिया S/o श्री जगमोहन बागोरिया	निजी व्यवसाय	C/o अशोक शर्मा ए–25,केसरीसिंह नगर,बूंदी	अध्यक्ष
2.	अनीता दायमा W/o श्री जयराम खटीक	समाज सेवा	B.R.629, न्यू कॉलोनी, बून्दी	सचिव/मंत्री
3.	कमलेश दायमा S/o श्री लीलाराम दायमा	शोद्यार्थी	BR-629,न्यू कॉलोनी, बून्दी	कोषाध्यक्ष
4.	मनु खींची W/o श्री जगमोहन	समाजसेवा	H.No.1003,सेक्टर–4, हिरणमगरी, उदयपुर	उपाध्यक्ष
5.	जयराम खटीक S/o श्री लीलाराम	व्याख्याता	BR-629, न्यू कॉलोनी, बून्दी (राज0)	सदस्य
6.	संतोष दाधीच W/o श्री अशोक शर्मा	महिला एवं बाल विकास अधि0	A-25, केसरी सिंह नगर, बून्दी	सदस्य
7.	कैलाश चन्द S/o स्व. श्री रामलाल पहाड़िया	भूगोलवक्ता	मानसरोवर, इमानुएल स्कूल परिसर, बून्दी (राज0)	सदस्य

रमेश
अध्यक्ष

मंत्री

कमलेश
कोषाध्यक्ष

लगातार 3

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं :-
इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इस रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

क्रं.	नाम व पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	अशोक शर्मा S/o श्री रामदत्त शर्मा	वकील	A-25, केसरी सिंह नगर, बून्दी	[signature]
2.	संतोष दाधीच W/o श्री अशोक शर्मा	महिला एवं बाल विकास अधिकारी	A-25, केसरी सिंह नगर, बून्दी	[signature]
3.	डॉ. एस.के.सिंह S/o श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	व्याख्याता	शैलजा, 2, शिव कॉलोनी, देवपुरा, बून्दी	[signature]
4.	जयराम खटीक S/o श्री लीलाराम खटीक	व्याख्याता	BR-629, न्यू कॉलोनी, बून्दी	[signature]
5.	शिवमाया मून्दडा W/o श्री रमेश चन्द मुन्दड़ा	समाज सेवा	गायत्री नगर, खोजा गेट के पीछे, बून्दी	[signature]
6.	डॉ0 अरविंद S/o श्री एम.एन. मन्दौला	व्याख्याता	BR-630, न्यू कॉलोनी, बून्दी	[signature]
7.	अनीता दायमा W/o श्री जयराम खटीक	समाज सेवा	BR-629, न्यू कॉलोनी, बून्दी	Aneeta
8.	कैलाश चन्द S/o स्व. श्री रामलाल पहाड़िया	भूगर्भवेक्ता	मानसरोवर, इमानुएल स्कूल परिसर पुलिस लाईन रोड, बून्दी	[signature]
9.	रमेश बागोरिया S/o श्री जगमोहन बागोरिया	निजी व्यवसाय	C/o अशोक शर्मा A-25 केसरीसिंह नगर बून्दी	रमेश
10.	कमलेश दायमा S/o श्री लीलाराम दायमा	शौद्यार्थी	B.R.-629,न्यू कॉलोनी, बून्दी	कमलेश
11.	मनु खींची W/o श्री जगमोहन बागोरिया	समाज सेवा	म.नं. 1003, सैक्टर-4, हिरण मगरी, उदयपुर	मनु
12.	रमाकान्त दीक्षित S/o श्री राम शंकर जी	कानूनविद	53, शिव कॉलोनी, देवपुरा, बून्दी	[signature]
13.	सुनील शर्मा S/o श्री रामअवतार मारवाल	वकील	62 गोम्स, डिफेंस कॉलोनी, 5वीं एवन्यू, वैशाली नगर, जयपुर।	सुनील
14.	परेश मून्दड़ा S/o श्री रमेश चन्द मून्दड़ा	निजी व्यवसाय	गायत्री नगर, खोजा गेट, बून्दी	Paresh MUNDRA
15.	सरला मन्दौला W/o श्री अरविन्द मन्दौला	समाज सेवा	BR-630, न्यू कॉलोनी, बून्दी	सरला मन्दौला

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

Attested
Dr. Purnima Dixit
Lect. in Chem.
Govt. P.G. College Bundi

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्णपता)
व्याख्याता
राजकीय महा विद्यालय
बून्दी (राज.)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्णपता)
Govt. College Bundi
व्याख्याता
राजकीय महाविद्यालय
बून्दी (राज.)

ATTESTED
Notary Public
BUNDI (Raj.)
1-3-04

NOTARY
Reg. No.
Jagdish Gupta
BUNDI (Raj.)
GOVT. OF RAJASTHAN

रमेश
अध्यक्ष

Aneeta
मंत्री

कमलेश
कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

Identified by

आस्था शोध एवं विकास संस्था, बून्दी (राज.)

-: विधान नियमावली :-

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम **"आस्था शोध एवं विकास संस्था, बून्दी"** है व रहेगा ।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय **B.R.-629, न्यू कॉलोनी, बून्दी (राज0)** है तथा इस कार्यक्षेत्र **सम्पूर्ण राजस्थान** क्षेत्र तक सीमिति होगा ।

3. संस्था का उद्धेश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्धेश्य है :-

   1. राष्ट्रीय शिक्षा एवं मौलिक शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थी एवं व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना एवं शिक्षण-दीक्षण के लिए शिक्षक कार्यकर्त्ता एवं साहित्य सामग्री तैयार करना।
   2. छात्र-छात्राओं को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा सहित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना।
   3. कम्प्यूटर शिक्षा, मेडिकल, इन्जिनियरिंग, डेन्टल, विधि, कॉलेज शिक्षा एवं बी.फार्मा, डी.फार्मा प्रबंध संस्थान, लेब टेक्नीशियन, शारीरिक शिक्षा, बी. एड़, एस.टी.सी., आई.टी.आई., आयुर्वेद, पशुधन, पर्यावरण, खेल-कूद संबंधी सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्य करना एवं प्रचार करना।
   4. समाज के कमजोर, पिछड़ों, असहाय, विकलांगों, शाषित, विधवाओं, बेरोजगार, महिलाओं, तथा लोगों के शिक्षण-दीक्षण तथा उनकी आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकास एवं बन्धुआ मजदूरों, बालश्रम एवं बाल विवाह उन्मूलन हेतु कार्य करना।

रमेश
अध्यक्ष

मंत्री

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

कोषाध्यक्ष

लगातार 2

5. वर्तमान ज्वलन्त समस्याओं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि के निवारण एवं स्वास्थ्य व स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करना।
6. कच्ची बस्तियों एवं उनमें रहने वाले लोगों के उत्थान एवं पुर्नवास आदि के लिए कार्य करना।
7. राज्य सरकार, भारत सरकार में विभिन्न समाजों की विविध विकास संबंधी योजनाओं की क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
8. अपाहिज विकलांग एवं मानसिक विक्षिप्त एवं निराश्रित बच्चों एवं व्यक्तियों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास एवं पुर्नवास तथा कल्याण के लिए कार्य करना तथा बाल आश्रम का संचालन करना।
9. वृद्धाश्रम व अन्य रचनात्मक योजना बनाना लागू करना।
10. महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग की गतिविधियों को उनकी स्वीकृति से संचालित करना।
11. महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्यक्षैत्र में निवास करते हो।
2. बालिग हो।
3. पागल, दिवालिया न हो।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हो।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत भी किये जा सकेंगे।

1. संरक्षक
2. विशिष्ठ
3. सम्मानीय
4. साधारण

रमेश
अध्यक्ष

Aarti
मंत्री

कमलेश
कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

लगातार 3

सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा शुल्क व चन्दा देय होगा ।

1. सरंक्षक राशि ..1100/- वार्षिक
2. विशिष्ठ राशि ..500/- वार्षिक
3. सम्मानीय राशि ..251/- वार्षिक
4. साधाराण राशि ..101/- वार्षिक

उक्त राशि एक मुस्त दर से जमा कराई जा सकेगी ।

7. **सदस्यता से निष्कासन** : संस्था के सदस्यो का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा ।

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देन पर
3. संस्था के उद्वेश्य के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदनकरने पर साधारण सभा के निर्णय हेत वेघ समझी जावेगी । तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

8. **साधारण सभा** : संस्था के उपनियम संस्था 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगें ।

9. **साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य** : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होगें ।

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।
2. वार्षिक बजट पारित करना ।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा दिये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्दन करना । (रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर लागू होगा ।)

रमेश — अध्यक्ष | मंत्री | कमलेश — कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

लगातार 3

साधारण सभा की बैठक : 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी विशेष सभा भी बुलाई जा सकेगी.

2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य का 1/3 होगा ।

3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व में अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।

4. कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी । जो पुनः सात दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठकी की कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी ।लेकिन विधारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेण्डा मे थे ।

5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो लिखित आवेदन करने पर मंत्री/ अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर - अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 2/3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगे ।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें ।

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक
3. मंत्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य- तीन

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पदों या पद नाम परिवर्तन किया जावे तो यहां अंकित करें कम रखना याहे तो कम रख ले)

इस प्रबन्ध कारिणी में चार पदाधिकारी व..... तीन. सदस्य सात कुल सदस्य होगें

रमेश
अध्यक्ष

मंत्री

कमलेश
कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

लगातार 4

	कार्यकारणी का निवार्चन	:	1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा । 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा । 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी ।
13.	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य	:	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होगें । 1. सदस्य बनाना/निष्कासित कराना । 2. वार्षिक बजट तैयार करना । 3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना । 4. वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन, भत्तों का निर्धारण करना । 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना । 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना । 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना ।
14.	कार्यकारिणी की बैठकें	:	1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी । 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी । 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा आवश्यकता बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है । 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेण्डा में थे ।ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।इस सभा की कार्यवाही का पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा ।

रमेश
अध्यक्ष

मंत्री

कमलेश
कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

लगातार 5

प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य	:	संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होगे :-

1. **अध्यक्ष**
   1. बैठकों की अध्यक्षता करना ।
   2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।
   3. बैठकें आहुत करना ।
   4. संस्था की प्रतिनिधित्व करना ।
   5. संविदा तथा अन्या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।
   6. अन्य

2. **उपाध्यक्ष**
   1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
   2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

3. **मंत्री**
   1. बैठके आहुत करना ।
   2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।
   3. आय-व्यय पर नियंत्रण करना ।
   4. वेतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।
   5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की और से हस्ताक्षर करना ।
   6. पत्र व्यवहार करना ।
   7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो ।

4. **कोषाध्यक्ष**
   1. वार्षिक लेखों ज़ोखों तैयार करना ।
   2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना ।
   3. चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
   4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

लगातार 6

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

संस्था का कोष	:	संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा । 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी । 2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन संभव होगा ।
17. कोष संबन्धी विशेषाधिकार	:	1. संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें । 1. अध्यक्ष 5000/- रूपये 2. मंत्री 5000/- रूपयें 3. कोषाध्यक्ष 2500/- रूपयें उपरोक्तानुसार राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा ।
18. संस्था का अंकेक्षण	:	संस्था के समस्त लेख जोखे का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा ।
19. संस्था के विधारन में परिवर्तन	:	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा ।जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।
20. संस्था का विघटन	:	यदि संस्था का विघटन अवश्य हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्वेश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जायेगी लेकिन उक्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

रमेश — अध्यक्ष   Aneeta — मंत्री   कमलेश — कोषाध्यक्ष

लगातार ....

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

21. संस्था के लेखे जोखे निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाऐं बून्दी को संस्था के निरिक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) आस्था शोध एवं विकास शिक्षा, बूंदी समिति/सोसायटी/संस्थान की सही व सच्ची प्रतिलिपी है ।

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

44/बूंदी/2003-04

1 संस्था का पंजीयन क्रमांक
2 संस्था का नाम आस्था शोध एवं विकास शिक्षा बूंदी
3 ... सध विधान एवं नियमावली
4 दस्तावेज के पृष्ठ 11 पृष्ठ (ग्यारह)
5 दिनांक पंजीयन 10-3-2004
6 हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

आस्था शोध एवं विकास संस्था बूंदी

बीआर–629 न्यू कोलोनी बूंदी, राज0

क्रमांक एएसवीएसबी / 2010 / दिनांक : 16–3–11

दिनांक 22–2–11 को विधान में संशोधित किये गये नियम का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान के अनुसार वर्तमान नियम	विधान में संशोधित किया गया नया नियम
3 संस्था के उद्देश्य	<u>इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है ।</u>	<u>इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है ।</u>
	1– राष्ट्रीय शिक्षा एवं मौलिक शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुरूप समाज के सभी वर्गो के विद्यार्थी एवं व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना एवं शिक्षण दीक्षण के लिए शिक्षक कार्यकर्ता एवं साहित्य सामग्री तैयार करना,।	1 से 11 तक यथावत रहेंगें ।
	2– छात्र छात्राओं को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा सहीत प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना ।	12– संस्था द्वारा स्कूल, कालेज आदि के लिए भूमि खरीदनें, भवन निर्माण करने, मूलभूत सुविधिाओं को प्राप्त करने के लिए चल अचल सम्पती खरीदने हेतु वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों निजि व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करना तथा इस हेतु आवेदन करना ।
	3– कम्प्यूटर–शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल, विधि, कालेज शिक्षा एवं बी–फार्मा, डी–फार्मा, प्रबन्ध संस्थान, लेब टेकनीशियन, शारीरिक शिक्षा, बीएड, एसटीसी, आईटीआई, आयुर्वेद, पशुधन, पर्यावरण, खेलकूद सम्बन्धी सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्य करना एवं प्रचार करना ।	13– संस्था द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, आवासीय विद्यालय, नर्सिंग कालेज, रिसर्च सेन्टर, छात्रावास का निर्माण करना एवं उनका संचालन करना, एवं संस्था हित में संस्था की विद्यमान चल अचल सम्पत्ती आदि को विकय करना एवं नवीन चल अचल सम्मपत्ती का कय करना ।
	4– समाज के कमजोर, पिछडों, असहाय, विकलांगों, शोषित, विधवाओं, बेरोजगारो, महिलाओं तथा लोगों के श़िक्षण दीक्षण तथा उनकी आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकास एवं बंघवा मजदूरों, बालश्रम एवं बाल विवाह उन्मूलन हेतु कार्य करना ।	उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति से कोई लाभ निहित नहीं है।
	5– वर्तमान ज्वलंत समस्याओं, जैसे पर्यावरण प्रर्दूषण, जनसंख्या वृद्धि के निवारण एवं स्वास्थ्य व स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करना ।	
	6– कच्ची बस्तियों एवं उनमें रहने वाले लोगों के उत्थान एवं पुर्नवास आदि के लिए कार्य करना ।	
	7– राज्य सरकार, भारत सरकार में विभिन्न समाजों की विविद विकास सम्बन्धी योजनाओं की कियान्वयन में सहयोग प्रदान करना ।	

रजिस्ट्रार संस्थाएं जिला, बून्दी (राज.)

रमेश
अध्यक्ष
आस्था शोध एवं विकास संस्था बून्दी

Aneeta
सचिव/मंत्री
आस्था शोध एवं विकास संस्था
बून्दी (राज.)

अर्जुन
कोषाध्यक्ष
आस्था शोध एवं विकास संस्था
बून्दी (राज.)

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)

8– अपाहिज, विकलांग एवं मानसिक विक्षिप्त एवं निराश्रित बच्चों एवं व्यक्तियों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास एवं पुर्नवास तथा कल्याण के लिए कार्य करना तथा बाल आश्रम का संचालन करना ।

9– वृद्धाश्रम एवं अन्य रचनात्मक योजना बनाना, लागू करना ।

10– महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग की गतिविधियों को उनकी स्वीकृति से संचालित करना ।

11– महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं बून्दी जिला, बून्दी (राज.)

अध्यक्ष
आस्था शोध एवं विकास संस्था बून्दी

सचिव/मंत्री
आस्था शोध एवं विकास संस्था
बून्दी (राज.)

कोषाध्यक्ष
आस्था शोध एवं विकास संस्था
बून्दी (राज.)

यह दस्तावेज संस्था की पत्रावली में सम्मिलित है।

रजिस्ट्रार
संस्थाऐ बून्दी जिला, बून्दी
(राज.)

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)